

No. 17/109/2011-Pers/BSF/ 2903-3255
Government of India
Ministry of Home Affairs
Directorate General, Border Security Force
(Personnel Directorate)

Block No-10, 5th Floor
CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi – 110 003

Dated, the 22 Jan, 2015

To

All Frontier HQrs BSF
All Sector HQrs/DIsG ISD
All BNs BSF (THQ/Bn HQ)
All Training Institutions BSF/STCs
CENWOSTO/TSU Tekanpur
SIW/SRO/ATS Tekanpur
Water Wing Bhuj (Guj)/ Madhopur(Pb)
South Bengal (Kolkata) & Dhubri (Assam)

**Sub :FORWARDING OF GAZETTE NOTIFICATION OF BSF
HEADQUARTERS (PUBLIC RELATIONS OFFICER)
RECRUITMENT RULES, 2015**

The Gazette Notification of Border Security Force, Headquarters (Public Relations Officer) Recruitment Rules, 2015 notified in the official gazette vide GSR No.17 (E) dated 1st Jan, 2015 is forwarded herewith for your information and necessary action, please.

Encl: As above



(Kuldeep Saini)

Dy Inspector General(Pers/Confld)

22 Jan, 2015

Distribution :-

1. PS to DG BSF
2. PS to Spl DG BSF
3. HQ Spl DG BSF Kolkata & Chandigarh
4. PS to Addl DsG BSF
5. All IsG at FHQ BSF
6. FA BSF HQ
7. Prov Dte/ Engg Cell/Water Wing /Air Wing
8. PAD BSF, New Delhi
9. Law Branch and D&L Branch, FHQ BSF
10. Staff Section/Recruitment Section/Estt Section
11. NGO's Promotion Desk – Pers Section
12. IT Wing FHQ BSF – for placing on the Web Site of the Force.

IG (Personnel) महानिरीक्षक (संकाय वन अर्द्ध)
DI (IT) उप महानिरीक्षक (अर्द्ध वे)
DI (IT) 23/1/15
COPY NO दिनांक
DI (IT) दिनांक

Web Site


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 9, 2015/पौष 19, 1936

No. 15]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 9, 2015/PAUSA 19, 1936

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2015

सा.का.नि.17(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सीमा सुरक्षा बल (जन सम्पर्क अधिकारी) भर्ती नियम, 2000 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, सीमा सुरक्षा बल में जन सम्पर्क अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय (जन सम्पर्क अधिकारी) भर्ती नियम, 2015 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड व ग्रेड वेतन या वेतनमान — उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उन पदों से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. निरर्हताएं :-वह व्यक्ति —
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है
उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. अन्य देशीय की अपात्रता - इन नियमों के अन्तर्गत वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, को सिवाय ऐसे मामले में जिनमें केन्द्रीय सरकार द्वारा लिखित में पूर्व सहमति दी गई हो, नियुक्त या नियोजित नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह कि इन नियमों की कोई बात नेपाल और भूटान के नागरिक की नियमों के अधीन उसकी नियुक्ति, नामांकन या नियोजन का वर्जन नहीं करेगी।

7. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जनसम्पर्क अधिकारी	2* (दो) (2015) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसूचित	वेतन बैंड 3 (15,600-39,100 + ग्रेड वेतन रु. 6,600/-)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	सशस्त्र बलों के कार्मिकों या पुनर्नियोजित कार्मिकों के लिए दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) सशस्त्र बलों के कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति के पश्चात्, पुनर्नियोजन।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
11. प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/पब्लिक सैक्टर उपक्रमों/स्वायत्त संगठनों/कानूनी या अर्द्धसरकारी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित	समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (सशस्त्र बलों के कार्मिकों के पुनर्नियोजन के लिए) :- 1. महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल - अध्यक्ष 2. महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल - सदस्य 3. निदेशक अथवा उप सचिव गृह मंत्रालय - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से प्रत्येक अवसर पर परामर्श करना आवश्यक है।